

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट, अंजड जिला-बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 336 / 2009
संस्थान दिनांक 27.08.2009

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, अंजड,
जिला-बड़वानी (म.प्र.)

-----अभियोगी

विरुद्ध

1. सुभाष पिता मांगीलाल, आयु 50 वर्ष,
निवासी-ग्राम चेकरी, थाना अंजड, हाल मुकाम
ग्राम दवाना, तहसील ठीकरी, जिला-बड़वानी म.प्र.
2. तारिया उर्फ ताराचंद पिता गोविंद, आयु 30 वर्ष,
ग्राम चेकरी, तहसील अंजड, हाल मुकाम
ग्राम विश्वनाथ खेड़ा, थाना ठीकरी,
जिला बड़वानी म.प्र.
3. राधेश्याम पिता जलाल, आयु 30 वर्ष,
निवासी-बायखेड़ा, थाना धरमपुरी,
जिला धार म.प्र.

-----अभियुक्तगण

// निर्णय //

(आज दिनांक 11.02.2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना अंजड द्वारा अपराध क्रमांक 90 / 2009 अंतर्गत धारा 457, 380, 411 भा.द.सं. में दिनांक 27.08.2009 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्तगण सुभाष एवं तारिया उर्फ ताराचंद के विरुद्ध दिनांक 31.03.2009 को रात्रि में फरियादी के आवासीय मकान में सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्योदय के पूर्व चोरी करने के आशय से अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए प्रवेश कर प्रच्छन्न रात्रों गृह अतिचार कारित करने, फरियादी के आवासीय मकान से फरियादी अमरसिंह का एक मोबाईल नोकिया कम्पनी का नम्बर 1200 कीमती 1600/- रुपये मय सीम कार्ड के बेईमानी से फरियादी की अनुमति के बिना लेने के आशय से हटाकर चोरी करने तथा अभियुक्त राधेश्याम के विरुद्ध दिनांक 31.03.2009 के पश्चात् सह अभियुक्तगण से मोबाईल नोकिया कम्पनी का माडल नम्बर 1200 चुराई गई सम्पत्ति होना जानते हुए बेईमानी से प्राप्त करने के संबंध में अभियुक्तगण सुभाष एवं तारिया उर्फ ताराचंद पर धारा 457, 380 भा0दं0सं0 एवं अभियुक्त राधेश्याम पर धारा 411 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विचारणीय है

2. प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 31.03.2009 को फरियादी अमरसिंह का मोबाईल नोकिया कम्पनी का मॉडल नम्बर 1200 जिसमें आईडिया कम्पनी क्रमांक 9617580695 की सीम लगी हुई थी, जो फरियादी के घर के अंदर मोबाईल चार्जिंग पर रखा हुआ था, उस समय परिवार के सभी सदस्य सोये हुए थे, रात्रि 10:00 बजे मोबाईल चार्ज पर लगा हुआ था किन्तु उसके पश्चात् फरियादी सो गया था। फरियादी ने प्रातः उठकर जब देखा तो उसका मोबाईल नहीं दिखा, जिसे कोई अज्ञात बदमाश रात्रि में घर की दीवार कूदकर चुराकर ले गये, तत्पश्चात् फरियादी ने मोबाईल को तलाश किया तब सरदारसिंह के मोबाईल नम्बर 9009674674 पर दिनांक 02.04.2009 को उसके मोबाईल नम्बर 9617580695 से काल आया, जिसमें कोई बातचीत नहीं हुई तब फरियादी ने पता किया तो उक्त मोबाईल ग्राम चकेरी के सुभाष, तारिया के पास होना पाया गया, फिर फरियादी द्वारा उक्त मोबाईल के बारे में पूछने पर अभियुक्तों ने मोबाईल देने की बात कही किन्तु मोबाईल नहीं दिया। पुलिस ने फरियादी अमरसिंह द्वारा दी गई घटना की सूचना के आधार पर अभियुक्तगण सुभाष एवं तारिया के विरुद्ध अपराध क्रमांक 90/2009 अंतर्गत धारा 457, 380 भा.द.सं. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्शपी 1 लेखबद्ध की। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने फरियादी अमरसिंह की निशांदाही पर घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 2 बनाया, पुलिस ने साक्षियों के समक्ष अभियुक्त सुभाष, तारिया एवं राधेश्याम के मकान की तलाशी का पंचनामा क्रमशः प्रदर्शपी 8, 9, 14 बनाये, पुलिस ने साक्षियों के समक्ष अभियुक्त सुभाष, तारिया एवं राधेश्याम से पूछताछ कर धारा 27 साक्ष्य विधान के ज्ञापन क्रमशः प्रदर्शपी 10, 11 व 13 बनाये, पुलिस ने साक्षियों के समक्ष अभियुक्त राधेश्याम से एक सीम कार्ड आईडिया कम्पनी की क्रमांक 9165186764 को जप्त कर प्रदर्शपी 15 का जप्ती पंचनामा बनाया, पुलिस ने साक्षियों के समक्ष अभियुक्त सुभाष, तारिया उर्फ ताराचंद एवं राधेश्याम को गिरफ्तार कर क्रमशः प्रदर्शपी 6, 7 व 12 के गिरफ्तारी पंचनामों बनाये, पुलिस ने अनुसंधान के दौरान फरियादी अमरसिंह, साक्षीगण संजय, सरदारसिंह, विमल, देवेन्द्र, सुरजीतसिंह व गजेन्द्र के कथन लेखबद्ध किये गये तथा संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री महेश कुमार सैनी, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी अंजड़ द्वारा अभियुक्तगण सुभाष एवं तारिया उर्फ ताराचंद के विरुद्ध धारा 457, 380 भा.द.सं. एवं अभियुक्त राधेश्याम के विरुद्ध भा.द.सं. की धारा 411 के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्तों को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्तों ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 द.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्तों ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है।

5. प्रकरण में विचारणीय निम्नलिखित है :-

1. क्या फरियादी अमरसिंह के रिहायसी आवास जो कि मानव निवास एवं सम्पत्ति अभिरक्षा के उपयोग में आता है, से दिनांक 31.03.2009 को एक मोबाईल नोकिया कम्पनी का नम्बर 1200 कीमती 1600/- रुपये मय सीम कार्ड के बेईमानी से फरियादी की अनुमति के बिना लेने के आशय से हटाकर चोरी एवं रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार हुआ था ?
2. क्या उक्त चोरी एवं रात्रोप्रच्छन्न गृह भेदन अभियुक्तगण सुभाष व तारिया उर्फ ताराचंद द्वारा कारित की गई थी ?
3. क्या अभियुक्त राधेश्याम ने उक्त चोरी की सम्पत्ति मोबाईल नोकिया कम्पनी का माडल नम्बर 1200 चोरी की सम्पत्ति जानते हुए बेईमानीपूर्वक कय की थी ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन द्वारा अपने पक्ष समर्थन में फरियादी अमरसिंह (अ.सा.1), सरदारसिंग (अ.सा.2), संजय शर्मा (अ.सा.3), विजय पाटीदार, (अ.सा.4), विमल (अ.सा.5), उपनिरीक्षक कुँवरलाल वरकड़े (अ.सा.6), देवेन्द्र (अ.सा.7), सुरजीत (अ.सा.8) एवं गजेन्द्र (अ.सा.9) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्तों की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1, 2 एवं 3 के संबंध में

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी अमरसिंह (अ.सा.1) ने अपने कथन में बताया कि वह अभियुक्त सुभाष एवं तारिया को जानता है। घटना लगभग 15 माह पूर्व की है। उसका मोबाईल नोकिया कम्पनी का जिसमें आईडिया की सीम लगी हुई थी, घर के अंदर से चोरी हो गया था। जब वह प्रातः उठा तो उसे पता चला कि उसका मोबाईल चोरी गया, फिर उसने अपने मोबाईल को दो-दिन रोज ढूँढा, जिससे पता नहीं चला और सरदारसिंह के नम्बर पर मेरे नम्बर से किसी ने फोन किया किन्तु बातचीत नहीं की थी। सुभाष एवं तारिया न ग्राम मोहीपुरा से फोन किया था। उसके बाद उसने थाने पर रिपोर्ट की थी जो प्रदर्शपी 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस गाँव में आई थी और नक्शा मोका पंचनामा प्रदर्शपी 2 बनाया था

जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी का यह भी कथन है कि फिर प्रधान आरक्षक अभियुक्त सुभाष के घर ग्राम चेकरी गया था। अभियोजन की ओर से सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने उसके मोबाईल में आईडिया कम्पनी की सीम जिसका नम्बर 9617580695 लगी हुई थी और उसने प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट में यह नम्बर लिखाया था। अभियुक्त को की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने मोबाईल चोरी होने के दो-तीन दिन बाद रिपोर्ट लिखित में की थी। उसकी प्रतिलिपि प्रदर्शडी 1 है। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसने दिनांक 20.04.09 को जो रिपोर्ट की थी, उसमें अभियुक्तों के नाम नहीं है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने पुलिस को बाद में रिपोर्ट की थी, उसमें अभियुक्तों का नाम नहीं बताया था। साक्षी का कथन है कि उसे अभियुक्तों ने धमकी दी थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि प्रधान आरक्षक ने उसे थाने पर अभियुक्तों की उपस्थिति में कहा था कि वह अभियुक्तों से उसका राजीनामा करवा देता है तथा वह अभियुक्तों से 1200/- रुपये ले ले। साक्षी ने स्वीकार किया कि थाने पर राजीनामा की बात प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट करने के बाद की है लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने असत्य रिपोर्ट लिखाई है या वह असत्य कथन कर रहा है।

8. संजय शर्मा अ.सा.3 ने भी फरियादी अमरसिंह का मोबाईल नोकिया कम्पनी का चोरी होने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि वह फरियादी के साथ थाने पर रिपोर्ट लिखाने गया था। अभियोजन की ओर से सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि अमरसिंह ने उसे बताया था कि उसकी नोकिया कम्पनी का मोबाईल मॉडल नम्बर 1200 कोई अज्ञात बदमाश रात्रि में चुराकर ले गये थे, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसके मोबाईल पर फरियादी के मोबाईल नम्बर से फोन आया था। साक्षी ने यह जानकारी होने से इंकार किया कि उक्त दोनों मोबाईल तारिया एवं सुभाष के थे। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि दोनों अभियुक्तों ने उन्हें मोबाईल वापस देने की बात की थी फिर मना कर दिया। साक्षी ने पुलिस को प्रदर्शपी 3 का कथन देने से भी इंकार किया है।

9. सरदारसिंह अ.सा. 2 का कथन है कि अमरसिंह का मोबाईल चोरी चला गया था और फिर उसके मोबाइल पर अमरसिंह के मोबाईल नम्बर से मिस काल आया था तो उसने बात की थी किन्तु सामने से किसी ने बात नहीं की थी। उसके मोबाईल पर फोन अमरसिंह के मोबाईल चोरी होने के बाद आया था, तो उसने अमरसिंह के पुत्र को बताया था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि चोरी होने के 20 दिन बाद रिपोर्ट करने गये थे और अमरसिंह ने प्रदर्शडी 1 की लिखित रिपोर्ट थाने पर पेश की थी।

10. विजय पाटीदार अ.सा.4 ने दिनांक 17.11.2008 को फरियादी अमरसिंह, निवासी मोहीपुरा को नोकिया 1200 का मोबाईल जिसका आई.एम. आई. नम्बर 356816024627696 प्रदर्शपी 4 के बिल से विक्रय के संबंध में कथन किये हैं।

11. उपनिरीक्षक कुवरलाल वरकड़े अ.सा.6 का कथन है कि दिनांक 31.03.2009 को थाना अंजड़ में सज्जन मिश्रा ने प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट लिखी थी। प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट सज्जनसिंह मिश्रा की हस्तलिपि में जिसके ए से ए भाग पर सज्जनसिंह मिश्रा के हस्ताक्षर हैं जो वह पहचानता है। साक्षी का यह भी कथन है कि उसने अभियुक्तों को इस अपराध में गिरफ्तार किया था। उसने अभियुक्त सुभाष एवं तारिया के मकान की तलाशी ली थी। वह पंचनामा प्रदर्शपी 8 व 9 का बनाया था, उसने अभियुक्तगण का मेमोरेण्डम प्रदर्शपी 10 एवं 11 का बनाया था। अभियुक्त राधेश्याम ने उसे प्रदर्शपी 13 का कथन दिया था। अभियुक्त राधेश्याम के मकान की तलाशी लेने पर सीम नम्बर 9165186764 का कार्ड अलमारी में मिला था, जिसे जप्त कर प्रदर्शपी 15 का जप्ती पंचनामा बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने फरियादी अमरसिंह से मोबाईल का बिल प्राप्त किया था। उसने विवेचना के दौरान आईडिया कम्पनी के नोडल अधिकारी परदेशीपुरा, इन्दौर से कार्ड डिटेल प्राप्त की थी जो प्रदर्शपी 16 एवं 17 है। उसने साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि रिपोर्ट मौखिक की थी लिखित रिपोर्ट नहीं की गई थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि तारिया एवं सुभाष के मकान की तलाशी से कोई मोबाईल जप्त नहीं हुआ था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 का मेमोरेण्डम मौके पर नहीं बनाया था। अभियुक्त राधेश्याम की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने राधेश्याम से कोई मोबाईल जप्त नहीं किया था, लेकिन राधेश्याम से आईडिया की सीम का कव्हर का लिफाफा जप्त किया था और उसे सीम की चोरी की कोई रिपोर्ट नहीं की थी, जो सीम का कव्हर जप्त किया था वह सीम अभियुक्त राधेश्याम के नाम से थी, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने अभियुक्तों के विरुद्ध असत्य कार्यवाही की है।

12. विमल अ.सा. 5 का कथन है कि उसकी अंजड़ में अस्पताल चौक में पान की दुकान है। वह अमरसिंह को नहीं जानता है। वह अपनी दुकान में आईडिया कम्पनी के मोबाईल के रिचार्ज नहीं करता है। उसने पुलिस को कोई कथन नहीं दिये थे। यहाँ तक कि साक्षी ने पुलिस को प्रदर्शपी 5 का कथन देने से भी इंकार किया है।

13. देवेन्द्र अ.सा.7, सुरजीत अ.सा. 8 अभियुक्तगण के मेमोरेण्डम एवं जप्ती पंचनामों के साक्षीगण हैं। देवेन्द्र अ.सा.7 ने कथन किया कि वह थाना अंजड़ के वाहन का चालक है और पुलिस वाले कई बार उससे कागजों पर

हस्ताक्षर करवा लेते हैं। साक्षी ने प्रदर्शपी 6 से 15 के बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। सुरजीत अ.सा.8 ने भी केवल इतना कथन किया कि पुलिस ने राधेश्याम से ग्राम झिरवी में राजेन्द्रसिंह तंवर के खेत से एक मोबाईल जप्त किया था, लेकिन साक्षी ने प्रदर्शपी 15 पर अपने हस्ताक्षर से इंकार किया है। यहाँ तक कि साक्षी ने अभियुक्त के मेमोरेण्डम प्रदर्शपी 13 एवं तलाशी पंचनामा प्रदर्शपी 14 पर अपने हस्ताक्षर से भी इंकार किया है। उक्त दोनों ही साक्षियों को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षियों ने अभियोजन के समस्त सुझावों से इंकार किया है तथा अभियुक्त राधेश्याम की सूचना के आधार पर एक मोबाईल उसके पास से जप्त करने से स्पष्ट इंकार किया है। यहाँ तक कि साक्षियों ने पुलिस को कथन देने से भी इंकार किया है।

14. गजेन्द्र अ.सा. 9 ने ग्राम झिरवी में उसकी मोबाईल की सीम बैलेंस रिचार्ज करने की दुकान होना स्वीकार किया है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने अभियुक्त राधेश्याम को आईडिया कम्पनी की कोई सीम विक्रय की थी या नहीं। इस साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्त राधेश्याम से आईडिया कम्पनी की सीम क्रमांक 8991781110910138449 जिसका मोबाईल नम्बर 9165186764 विक्रय की थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि साक्षी ने पुलिस को प्रदर्शपी 19 का कथन दिया था।

15. ऐसी स्थिति में जबकि फरियादी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उसने इस अपराध की रिपोर्ट लिखित रूप से थाने पर की थी और बचाव पक्ष की ओर से उक्त प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट प्रदर्शित भी कराई गई है, लेकिन अभियोजन की ओर से उक्त रिपोर्ट पेश नहीं की गई है और उक्त रिपोर्ट पेश नहीं करने का कोई स्पष्टीकरण भी न्यायालय में नहीं बताया गया। इस घटना की रिपोर्ट फरियादी ने 20 दिन बाद थाने पर करना बताया है लेकिन प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्शपी 1 के अनुसार उक्त रिपोर्ट चोरी की घटना के लगभग 1 माह 7 दिन बाद थाने पर करवाई गई है, जिसका कोई भी स्पष्टीकरण अभियोजन की ओर से नहीं है। फरियादी ने अपनी रिपोर्ट प्रदर्शपी 1 में अभियुक्तों पर उसका मोबाईल चोरी होने का संदेह प्रकट किया है, लेकिन उक्त मोबाईल अभियुक्तगण सुभाष एवं तारिया उर्फ ताराचंद द्वारा अभियुक्त राधेश्याम को देने या अभियुक्त राधेश्याम द्वारा उक्त मोबाईल को बैईमानी से प्राप्त करने के संबंध में किसी भी अभियोजन साक्षी ने कोई कथन नहीं किया है यहाँ तक कि उक्त मोबाईल राधेश्याम से जप्त होने के संबंध में किसी भी साक्षी ने कोई कथन नहीं किया है तो ऐसी स्थिति में फरियादी अमरसिंह के निवास स्थान से मध्य रात्रि के समय रात्रि प्रच्छन्न या गृह भेदन करके उसके मोबाईल की चोरी होना तो प्रमाणित होता है, लेकिन यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त सुभाष एवं तारिया उर्फ ताराचंद ने फरियादी के उक्त मोबाईल की चोरी की थी तथा अभियुक्त राधेश्याम ने उक्त मोबाईल को चोरी की सम्पत्ति होना जानते हुए उसे बैईमानीपूर्वक आशय से प्राप्त किया था।

16. अतः उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्तगण सुभाष, तारिया उर्फ ताराचंद एवं राधेश्याम के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित तीनों विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं। अतएव उक्त अभियुक्तगण सुभाष एवं तारिया उर्फ ताराचंद को संदेह का लाभ देते हुए धारा 457, 380 भा.द.स. एवं अभियुक्त राधेश्याम को भादस की धारा 411 के अपराध से दोषमुक्त किया जाकर अभियुक्त सुभाष एवं तारिया उर्फ ताराचंद जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं तथा अभियुक्त राधेश्याम न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः उसका रिकार्ड आदेश इस टीप के साथ जारी किया जाये कि यदि अभियुक्त राधेश्याम की अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे तुरंत रिहा किया जाये।

17. प्रकरण में कोई सम्पत्ति जप्त या जमा नहीं है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला-बड़वानी, म0प्र0

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला-बड़वानी, म0प्र0

**न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट , अंजड़ (म0प्र0)**

// धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत //

मैं श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला-बड़वानी म0प्र0 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 245/2012 (शासन पुलिस ठीकरी विरुद्ध सुनिल उर्फ गोलू आदि) में अभियुक्त की निरोध अवधि का प्रमाण पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत करता हूँ-

अभियुक्त का नाम	:-	दिलीप पिता नन्दू आयु 27 वर्ष, निवासी- ग्राम बरुफाटक, तहसील ठीकरी जिला-बड़वानी म.प्र.
गिरफ्तारी का दिनांक	:-	20.05.2012
पुलिस रिमाण्ड की अवधि	:-	निरंक
न्यायिक अभिरक्षा में अवधि	:-	निरंक

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला-बड़वानी, म0प्र0

**न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट , अंजड (म0प्र0)**

// धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत //
न्यायिक अभिरक्षा में दिनांक 29.11.2014 तक

मैं श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड, जिला-बड़वानी म0प्र0 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 245/2012 (शासन पुलिस ठीकरी विरुद्ध सुनिल उर्फ गोलू आदि) में अभियुक्त की निरोध अवधि का प्रमाण पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत करता हूँ-

अभियुक्त का नाम :- सुनिल उर्फ गोलू पिता सुभाष, आयु 20 वर्ष
निवासी- ग्राम बरूफाटक, तहसील ठीकरी
जिला-बड़वानी म.प्र.

गिरफ्तारी का दिनांक :- 20.05.2012

पुलिस रिमाण्ड की अवधि :- निरंक

न्यायिक अभिरक्षा में अवधि :- 29.10.2014 से निरंतर

इस प्रकार अभियुक्त ने न्यायिक अभिरक्षा में कुल 31 दिवस बिताये हैं।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड, जिला-बड़वानी, म0प्र0